



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2019/श्रावण 31, 1941

No. 482]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2019/SHRAVANA 31, 1941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 593(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम बीज (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2019 होगा।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के खण्ड 6 जो अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि के संबद्ध में है, वैधता अवधि "3 वर्षों" के स्थान पर "5 वर्ष" अंतः स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं.13-157/2019-एसडी.IV]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. 932 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 1983 के अधीन प्रकाशित की गयी थी तथा उसके बाद सा.का.नि. 444 (अ), तारीख 26 जुलाई, 2006, सा.का.नि. 890(अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2014 तथा सा.का.नि. 547 (अ), तारीख 2 जून, 2017 को संशोधित की गयी थी।

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)**

**ORDER**

New Delhi, the 21<sup>st</sup> August, 2019

**G.S.R. 593(E).**— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Seeds (Control) Order, 1983, namely: —

1. (1) This order may be called the Seeds (Control) Amendment Order, 2019.  
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Seeds (Control) Order, 1983, in clause 6, relating to 'period of validity of Licence', for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.

[F. No. 13-157/2019-SD.IV]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

**Note:** The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.932 (E), dated the 30<sup>th</sup> December, 1983 and subsequently amended vide G.S.R. 444(E), dated 26<sup>th</sup> July, 2006, G.S.R. 890 (E), dated 12<sup>th</sup> December, 2014 and G.S.R. 547(E), dated 2<sup>nd</sup> June, 2017.